मसूदा

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ...

56/2015/75 — शकर / हासम्त वगैरह

2015/00141

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री समीर अहमद खान P.S. श्री K. K पुरोहित – 1 WA 2-4
23/5/25	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिकार्ड दिनांक 3/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
3/6/25	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली ~~[illegible]~~ वास्ते अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, पुनः तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 23/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
23/6/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिकार्ड दिनांक 31/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
31/7/25	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित । राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया । मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 20/8/2025 को पेश हो । (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
20/8/25	राजस्व बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते इन्तजार रिकार्ड दिनांक 21/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
21/8/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं। अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु अपीलांट अनुपस्थित उपस्थित नहीं हुए, अतः अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैजलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(दाहिने हाशिये में:) निकाला 1103 5/6/25

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर।

अपील/एलआर/ 56 /2015/जिला अजमेर
2015/00149

1- शंकर पुत्र समरा
2- नूरा पुत्र करीमा
3- प्रकाश पुत्र करीमा
4- अर्जुन पुत्र करीमा
5- सुबान पुत्र करीमा
समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम काना खेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

...अपीलान्ट्स

बनाम

1- हाशमा पुत्र पीरू जाति मेहरात निवासी ग्राम कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2- उपखण्ड अधिकारी पदेन अध्यक्ष भू आंवटन एवं नियमन सलाहकार समिति ब्यावर।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।
4- उप पंजीयक मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नियमन दिनांक 26-5-1984 जो की भू आंवटन एवं नियमन सलाहकार समिति द्वारा पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलान्टस की ओर से निम्नांकित निवेदन है:-

यह कि अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा कानाखेडा पटवार हल्का कानाखेडा तहसील मसूदा में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 435 जिसके हाल नम्बर 666 रकबा 2 बिस्वा व 667 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा का नियमन रेस्पो0 संख्या 1 को दिनांक 26.5.1984 को बिना सार्वजनिक सूचना के ही नियमन कर दिया गया जबकि उपरोक्त भूमि पर अरसे दराज से अलग अलग पक्षकारान का मौके पर कब्जा था तथा उक्त कब्जे के अनुसार ही पूर्व से ही काबिज व्यक्ति अपने अपने हिस्से पर बुजुर्गों के समय से काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खसरा नम्बरान पर अलग अलग व्यक्तियों की

Scanned with CamScanner